वित्तीय स्वीकृति

संख्या-20/2017/1149/52-3-17-बजट(10)/2016

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-3, □□□□□ दिनांक 21 □□□□, 2017

विषयः-केन्द्र प्□□□□□□□□ □□□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□□ □□□□□ द्वारा □□□ □0-1446 □□□□□ वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त हेतु□स्वीकृत □□□□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय भ□□□ □□□□□ □□पत्र □0-□□-8-29/2015-□□ 19, दिनांक 02.06.2017 □□□ □□□□ पत्र □0-1336/□0□0□0□□0/□□0□□0/2016, दिनांक 03.07.2017 □□ □□□□ संदर्भ ग्रहण करें।

2. □□ □□□ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□ □□□□□ द्वारा □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत उपरोक्त □□□□□□□ द्वारा 1446 मदरसों □□□रू0 884.05 □□□ वर्ष 2015-16 □□□□□ द्वितीय किश्त की □□□□□□ अवमुक्त की □□□ □□□ □□□□वित्तीय वर्ष 2017-18 में □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश □□ रूप में रू0 03,36,36,90,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान हैं। □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय भ□□□ □□□□□ द्वारा उपरोक्त □□□□□□□ द्वारा अवमुक्त की □□□ □□□□□□ रू0 884.05 □□□ (रू0 □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□○□ □□□□ मात्र) निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के □□□□ अवमुक्त □□ □□□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0, □□□□ □□निर्वतन पर □□□□□□□में □□□ आपत्ति प्रतीत नही □□□□ □□

(1) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□□ □□ □□□/□□□□□ दिये □□□□□□□□□□□□□ शिक्षकों □□ विवरण विभागीय □□□□□□ □□ दिनांक 31.03.2018 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□ सुनिश्चित किया □□□, ताकि □□□□ □□□□□ □□प्राप्त अनु□□□ □□□□□□□/□□□ □□ में □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□पारदर्शिता □□□ □□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ व्यय/□□□□□ □□ □□□ में □□□□ □□□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□राज्य □□□□□ द्वारा निर्गत सु□□□ शासनादेशों □□अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□□□किया □□□□□

(3) उक्त स्वीकृति □□ शर्त □□□□□□ □□कि मदरसों □□अस्तित्व के सं□□ में पूरी □□□ □□आश्वस्त हं□□□□□□ □□□□ विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) □□ शिक्षण कार्य □□□□□□□□शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि हो□□□□पश्चात ही □□□□□ □□□□ की □□□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ कि लाभान्वित □□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गा□□ □□□□ की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण □□□□ □□ यदि किसी मदरसें में □□□□□□□ □□□□□ किया □□□□ □,□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/□□□□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□पूर्णतया उत्तरदायी होंगे □□□ □□□□□□ रूप □□ □□□□□ की □□□ □□□□□□ की □□□□ □□□□□□□□□ □□□□सुनिश्चित की □□□□□

(4) □□□□□ □□□अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों □□ □□ व्यक्तिगत दायित्व □□□□ कि □□स्वीकृत □□□□□□ □□ दिशा-निर्देशो के□□□□□□ □□□□□□□ सुनिश्चित करेगें। किसी □□ □□□ में अस्तित्वहीन म□□□□□□□ अस्तित्वहीन शिक्षक □□ □□□□□□ वितरित न □□, वितरण □□□ सुनिश्चित किया □□□□□ □□ वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित क□□□□ □□□ हों। वितरण पारदर्शी तरीके □□□□□□ □□□ व्यय □□ पूर्ण □□□-□□□□ □ □□□□□□ सुरक्षित □□□□□□ दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों क□ □□□□□ प्रश्नगत य□□□□ की □□□□□□ □□ □□□□□ प्रमाण पत्र अविलम्ब □□□□ □□ पे्रषित किया □□□□□, □□ □□□□□□ व्यय नही □□ □□□□ उसकी जानकारी विवरण सहित □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

(5) शिक्षकों के □□□□□ □□□स्वीकृत की □□ रही □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ किया □□□□□ जिस □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा स्वीकृत की □□□ □□

(6) स्वीकृत □□□□□□ □□ □□□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ □□□ □□अन्दर □□□□ □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

(7) उक्त वित्तीय स्वीकृति □□ शर्त □□□□□□ प्रदान की □□□□ □□कि □□□□□□/ रजिस्ट्रार द्वारा □□□□□□ मदरसों □□ □□□□□ की □□□□□□ □□□ निर्गत की □□□□□, □□ □□ □□□□□□□□□□ में □□□□□/शासनादेशों □□अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था □□□□□□□ समस्त मानकों की पूर्ति सं□□□ प्राविधानों के □□□□□□ की स्थिति से □संतुष्ट □□ लेंगे।

3- उक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक □□ □□□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आय□□□□□/केन्द्र द्वारा □□□□□□□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यक

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बाहुल्य क्षेत्रों में अर□□ □□□□ मदरसों □□ आधुनिकीकरण (□□.100/□□.0-□□.) - 20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

4- □□ □□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02 /□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के □□□□ निर्गत किये □□ □□□हैं।

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोव□□)
विशेष □□□□

संख्या-1149/52-3-17 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□□आवश्यक कार्यवाही हेतु□प्रेषित:-

1- संयुक्त □□□□□(□□0□□0) □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□ साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री □□□ □□□ दिल्ली।
2- □□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□
3- □□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□□
4- वरिष्ठ आडिट आफिस□□ (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा □□□ थार्न हिल □□□, □□□□□□□
5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं□□लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□
6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□
7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□ शिक्षा विभाग, □0प्र0 □□□□□
8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0 □□□□ □
9- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □
10- वित्त (वि-11) □□□□□/वित्त (□□ □-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□□
11- कम्प्यूटर □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□
12- गार्ड एवं□□□

आज्ञा □□,

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in